



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 10.08.2022

1-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चोरी किये गये सामान व 03 अवैध चाकू के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बीटा-2 पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.08.2022 को बन्द पड़े घरों व मंदिरों में रेकी कर चोरी/लूट करने वाले 05 अभियुक्तों 1. आकाश पुत्र अमृत ग्राम भौरा, थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर 2. अरुण पुत्र करमवीर ग्राम भौरा, थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर 3. राहुल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम गभाना, थाना गभाना जिला अलीगढ़ हाल निवासी ग्राम घोड़ी बछेड़ा थाना दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर 4. हरी पुत्र बालकराम निवासी ग्राम चीती थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर 5. रिकू पुत्र मुकेश ग्राम नानपुर थाना गढ़ जिला हापुड़ को एच्छर टी पाइंट के पास वाले पार्क से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध चाकू, 01 सब्बल, 01 लोहा काटने की आरी व ब्लेड, 01 पाईप रिंच, 01 पेचकस, 01 घण्टा, 01 छोटा त्रिशूल, 09 पीतल के कटोरानुमा मन्दिर का सजावटी सामान व 08 सरिये लोहा 3 एम एम बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आकाश पुत्र अमृत ग्राम भौरा, थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर
2. अरुण पुत्र करमवीर ग्राम भौरा, थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर
3. राहुल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम गभाना, थाना गभाना जिला अलीगढ़ बताया हाल निवासी ग्राम घोड़ी बछेड़ा थाना दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर
4. हरी पुत्र बालकराम निवासी ग्राम चीती थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर
5. रिकू पुत्र मुकेश ग्राम नानपुर थाना गढ़ जिला हापुड़

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 0525/2022 धारा 414 भादवि थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0- 526/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0- 527/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

4. मु0अ0सं0- 528/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 03 चाकू ,01 सब्बल, 01 लोहा काटने की आरी वब्लेड,01 पाईप रिच लोहे की,01 पेचकस, 01 घण्टा, 01 छोटा त्रिशूल ,09 पीतल के कटोरानुमा मन्दिर का सजावटी सामान ,08 सरिये लोहा 3 एम एम की



2-थाना सेक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन लूटने/चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 02 लूटेरे/चोर गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 16 मोबाइल फोन (कीमत करीब 2,80,000 रूपये) तथा लूट/चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 10.08.2022 को थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन लूटने/चोरी करने वाले 02 लूटेरे/चोर क्रमशः 1- शुभम गिरि उर्फ साहिल पुत्र अशोक गिरि 2-मोहम्मद रियाज पुत्र मो0 जहाँगीर को चोरी/लूट के 16 मोबाइल फोन अलग-अलग कम्पनी के एवं लूट/चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो0 के साथ एफएनजी सर्विस रोड पर पीपल के पेड के पास चौकी क्षेत्र सी ब्लॉक थाना सेक्टर 63, गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-शुभम गिरि उर्फ साहिल पुत्र अशोक गिरि नि0 शर्मा आटा चक्की के सामने, भाटी चौक खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद

2-मोहम्मद रियाज पुत्र मो0 जहाँगीर निवासी पण्डित जी के मकान में भाटी चौक खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद

अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 299/22 धारा 392 भादवि थाना सैक्टर 63, नोएडा

2.मु0अ0सं0 300/22 धारा 392 भादवि थाना सैक्टर 63, नोएडा

3.मु0अ0सं0 303/2022 धारा 411/414 भादवि थाना सैक्टर 63, नोएडा

बरामदगी का विवरण-

1-लूट/चोरी के 16 मोबाइल फोन अलग-अलग कम्पनी के

2-लूट/चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो0



#शासन द्वारा यातायात सुरक्षा/सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।

यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वाले कुल 459 वाहन चालकों पर एमवी एक्ट के अंतर्गत ई-चालान की कार्यवाही की गयी।

दिनांक 10/8/ 2022 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्री आलोक सिंह के निर्देशानुसार यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा सभी टोल प्लाजा पर डंकन ड्राइविंग का अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज जेवर टोल पर डंकन ड्राइविंग अभियान चलाया गया एवं औद्योगिक संस्थानों को दिए गए निर्देश के अनुपालन में औद्योगिक संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारियों को दो पहिया वाहन पर हेलमेट लगाने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए नोटिस चस्पा करने प्रारंभ कर दिए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन के मार्ग पर आवागमन के संबंध में तथा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में नागरिक ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन के मोबाइल नंबर 997100 9001 पर शिकायत नोट करा सकते हैं।

दिनांक 10/8/ 2022 को प्रवर्तन की कार्रवाई में किए गए ई चालान का विवरण निम्न प्रकार है-बिना हेलमेट 158, विपरीत दिशा 89, नो पार्किंग 80 , बिना सीट बेल्ट 47, रेड लाइट उलंगन 35, नंबर प्लेट 10, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी 14, अन्य 27, सीज वाहन 15, कुल योग ई चालान 459 की कार्यवाही की गयी है।